भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 119

सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

फिज़ियोथेरेपिस्टों के संवर्ग का पुनर्गठन

***119. डॉ. के. कामराज:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईएसआई अस्पतालों इत्यादि जैसे स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध कार्यालयों सहित मंत्रालय में नियोजित फिज़ियोथेरेपिस्टों की संख्या कितनी है तथा उन्हें प्रदत्त प्रोन्नति क्रम, वेतन एवं भत्ते क्या हैं;

(ख) यह संवर्ग किस वर्ष बनाया गया था तथा इस संवर्ग में अब तक किये गये पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संवर्ग पुनर्गठन में फिज़ियोथेरेपिस्टों को शामिल किया गया था और उनके मतों पर विचार किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या फिज़ियोथेरेपिस्टों को इसमें शामिल किया जाता है/उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या फिजियोथेरेपिस्टों के समग्र संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

“फिज़ियोथेरेपिस्टों के संवर्ग का पुनर्गठन” के संबंध में दिनांक 11.02.2019 को डॉ. के. कामराज द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): वर्तमान में, ईएसआईसी अस्पतालों में कुल 36 फिजियोथेरेपिस्ट कार्य कर रहे हैं। ये वेतन मैट्रिक्स (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग) में स्तर-6 में हैं। वर्तमान संरचना में पदोन्नति पद का नाम वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट है। केन्द्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते लागू हैं। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट एवं फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए भर्ती विनियम क्रमश: दिनांक 22.06.1991 तथा 21.05.2011 को अधिसूचित किए गए थे। संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रयोजनार्थ फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए प्रारूप भर्ती विनियम हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु दिनांक 12.05.2017 को ईएसआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। फिज़ियोथेरेपिस्टों सहित शामिल सभी हितधारकों को अपनी टिप्पणियां देने का अवसर दिया गया है तथा ऐसी टिप्पणियों की पूर्ण जांच की गई है। फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग के वेतन मान को पहले ही 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बदल दिया गया है।

*****